International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

बाल श्रम के संरक्षण की दिशा में न्यायिक प्रयासो का अध्ययन

PRIYANKA KUMARI
RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

DR HARIKRISHAN
PROFESSOR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR RAJASTHAN

सारांश

बच्चे देश, राष्ट्र व समाज के निर्माता होते है अतः देश व समाज का दायित्व होता है कि वह अपनी अमूल्य निधि को सहेज कर रखे। इसके लिए आवश्यक हैं कि बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, शारीरिक, मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है।

छोटे-छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। जो समाज अपने बच्चो के लिए संवेदनशील नही है वह अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति कभी गम्भीर नहीं हो सकता। बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमे की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। जब एक बच्चा किसी ऐसे काम में सलंग्न होता है जो उसको अवकाश खेलकूद एवं शिक्षा से बंचित करता है तो उसे ''बाल श्रम'' कहा जाता हैं।

14 साल तक के बच्चों का अपने बचपन से ही नियमित काम करना बाल मजदूरी कहलाता है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिये अपराध है जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक है। बाल श्रम बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चो के व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए उसे परिवार के बीच प्रसन्नता, प्रेम और आपसी समझ-बूझ के वातावरण में बढ़ना चाहिए।

मुख्यशब्द- बालश्रम, संरक्षण की दिशा, संवैधानिक न्यायिक प्रयास

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

प्रस्तावना

1950 में भारतीय नेतृत्व स्वयं भारतीय संविधान के निर्माता में व्यस्त था और उन्होंने हमें एक लिखित संविधान दिया जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता और स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी देता है और बढ़ावा देता है। उन सभी के बीच एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से प्रत्येक उसे आवंटित क्षेत्र में सर्वोच्च है। संविधान की व्याख्या करने के लिए, सरकार के तीनों अंगों को उनके आवंटित क्षेत्रों के भीतर रखना और कानून का शासन लागू करना अत्यंत आवश्यक है और यह न्याय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है और इसे संविधान के संरक्षक के रूप में गठित किया गया है जो अन्य कानूनों के लिए मानदंड है। भारतीय संविधान लिखित और सर्वोच्च है और इसके प्रावधान जो संघीय सिद्धांतों से संबंधित हैं, उन्हें राज्यों के बहुमत की अवधारणा के बिना बदला नहीं जा सकता है। भारत के संविधान ने संघ और राज्यों या राज्य के बीच विवादों का फैसला करने और भारतीय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है। दूसरे शब्दों में, संघीय राजनीति में, न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने और संविधान के प्रावधानों की रक्षा करने की अंतिम शक्ति है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संघवाद को डिजाइन करने में भारतीय संघीय ढांचे को सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक विचार पर आधारित परिभाषित किया। विश्व युद्धों, अंतर्राष्ट्रीय संकटों, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और विकास के प्रभाव और सामाजिक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के उद्भव के तहत, संघवाद की पूरी अवधारणा दुनिया भर में कुछ समय से बदलाव के दौर से गुजर रही थी। वे साक्ष्य के रूप में प्रवृत्तियों को केंद्रीकृत कर रहे हैं यानी हर महासंघ और चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में, हर महासंघ में मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकारें उभरी हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया और देश की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए

संघीय ढांचे को इस आधार पर नहीं बनाया कि इसे किसी सैद्धांतिक, निश्चित या मानक पैटर्न की पुष्टि करनी चाहिए, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए संविधान का गठन संघवाद के क्षेत्र में एक नया साहसिक प्रयोग है।

संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों की संघीय घोषणा के रूप में मुक्ति को लोकतांत्रिक राज्य का विशिष्ट चरित्र माना जाता है। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध निषेध हैं। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो संविधान में गारंटीकृत नागरिक के किसी भी अधिकार को छीनता या कम करता हो। यदि वह ऐसा कोई कानून पारित करता है, तो उसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें लागू करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। दरअसल, किसी अधिकार का अस्तित्व उसके प्रवर्तन के उपाय पर निर्भर करता है। जब तक उपाय नहीं है तब तक कोई अधिकार नहीं है, यह एक प्रसिद्ध कहावत है। इस उद्देश्य के लिए भारत के संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है। संघीय संविधान के अलावा यह केंद्र और राज्यों की शक्ति की सीमा निर्धारित करने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्याणकारी राज्य में, भारत की तरह न्यायपालिका भी हाल ही में स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसके आदेश और निर्णय न केवल सभी नागरिकों, बल्कि सरकार पर भी बाध्यकारी हैं। यह उचित नहीं होगा अगर हम गरीब और कमजोर बाल श्रमिकों और बाल बंधुआ मजदूरों की सुरक्षा, संरक्षण और मुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका को स्वीकार करने में विफल रहते हैं, इसके अलावा इसने विभिन्न तरीकों से सामाजिक सुधार और सामाजिक समानता लाने में भी मदद की है। .

न्यायिक समीक्षा:

भारत में न्यायिक समीक्षा इस धारणा पर आधारित है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और सभी सरकारी अंग, जिनकी उत्पत्ति संविधान से हुई है और जो इसके प्रावधानों से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें

संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो संविधान के प्रावधानों से असंगत है. संघीय व्यवस्था में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना एक आवश्यक परिणाम है जिसका मूल कार्य केंद्र और उसकी घटक इकाइयों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है। भारतीय संविधान के तहत, अनुच्छेद 13 (2) में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, और इस प्रावधान के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून। असंगति की सीमा, शून्य हो. इस प्रावधान को शामिल करना अत्यधिक सावधानी के कारण प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह के प्रावधान के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय के पास अभी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 124 (6) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संविधान को बनाए रखने की शपथ या प्रतिज्ञान का ईमानदारी से पालन करने का आदेश देता है। इसलिए, यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह राज्य द्वारा किसी भी अतिक्रमण या उल्लंघन के खिलाफ मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। संविधान की एक अनूठी विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 32) को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 132 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों से अपील में अपीलीय क्षेत्राधिकार है, संविधान से अपील में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। किसी भी कारण या मामले में संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का कोई भी प्रश्न शामिल है।

बाल श्रम और शिक्षा का अधिकार:

बाल श्रम का उन्मूलन अनिवार्य शिक्षा की शुरूआत से पहले हुआ है; अनिवार्य शिक्षा और बाल श्रम कानून आपस में जुड़े हुए हैं। संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

International Journal for Innovative Engineering and Management Research
PEER REVIEWED OPEN ACCESS INTERNATIONAL JOURNAL
www.ijiemr.org

यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित नहीं किया जाना है तो अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 24 का पूरक है। उसे किसी शिक्षण संस्थान में ही रखा जाना चाहिए। अदालत ने कई मामलों में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि बाल श्रमिकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में सन्निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। 185 ये न्यायिक आदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए आवश्यक है। मनुष्य, उसके मन और व्यक्तित्व का समुचित विकास। अतः शिक्षा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक तथ्य है। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आनंद वर्धन चंदेल बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध मामले में माना है कि शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि कानून अब यह तय कर चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं, हालांकि उन्हें संविधान के भाग III में शामिल नहीं किया गया है। बशर्ते कि वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं में शामिल किये जा सकें। इसलिए शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है।

इस अधिकार को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही नकारा जा सकता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दर्शाया गया है, निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत एक परीक्षण पास करना होगा। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुरली कृष्ण पब्लिक केस188 में अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि; "दलितों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और स्कूलों की स्थापना करके शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है।" 'इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले ने दलित बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है। दलित अब तक मानवता के नमूनों की उपेक्षा करते थे। जो लोग अपने सांसारिक अस्तित्व को गरीबी के नीचे घसीट रहे हैं, उन्हें संविधान की प्रस्तावना में घोषित सामाजिक-आर्थिक

न्याय, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार सकारात्मक और प्रगतिशील है। बाल श्रम को तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया जाता। अतः बाल श्रम का संबंध बाल शिक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। 1986 और 1987 में भारत सरकार ने कामकाजी बच्चों के प्रति नीतियों का एक नया सेट अपनाया, जिसने पहली बार श्रम और शिक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों के निजी विचारों को प्रतिबिंबित किया। स्पष्ट रूप से कहें तो अदालत ने केंद्र सरकार को यह निर्देश देते हुए माता-पिता की भूमिका निभाई है कि वह श्रमिकों को अपने बच्चों को पास के स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करे और न केवल स्कूल की व्यवस्था करे बल्कि मुफ्त किताबें, परिवहन आदि सुविधाएं भी प्रदान करे। यह भी सुझाव दिया गया कि जब भी केंद्र सरकार को यह प्रावधान करना चाहिए कि परियोजना स्थल पर या उसके आसपास रहने वाले निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए और यह या तो केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है या यदि केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है परियोजना का कोई भी भाग किसी ठेकेदार को सौंपता है, तो इस आशय के आवश्यक प्रावधान ठेकेदार के साथ अनुबंध में किए जा सकते हैं। कोर्ट ने बच्चों की बेहतरी के लिए निर्देश जारी किया है.

जनहित याचिका:

मानवाधिकार संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता ने पूरी तरह से न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। न्यायाधीशों के लिए न्यायिक आत्मसंयम और निष्क्रिय व्याख्या के सिद्धांतों के पीछे छिपना कठिन होता जा रहा है। वहां मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में निर्णयों की जांच सामाजिक न्याय को लागू करने की आवश्यकता में रुचि रखने वाले बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दर्शकों द्वारा की जाती है। नागरिकों की बढ़ती संख्या और उनकी शिकायतें सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के कारण न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और वैधता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मानवाधिकार आंदोलन ने कई मायनों में न्यायपालिका को सबसे गतिशील और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान बना दिया है। व्यक्तिगत नागरिकों और सत्ता के मालिकों के बीच खड़े होकर, न्यायपालिका लोकतांत्रिक नीतियों के क्षेत्र में अंतिम

मध्यस्थ बन गई है। केंद्र स्तर पर अचानक दिए गए इस दबाव ने, विशेष रूप से विकासशील दुनिया में, निर्णय करना एक कठिन और जटिल अभ्यास बना दिया है। न्यायालय अक्सर पाता है कि संस्थागत अखंडता के आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। फिर भी, न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या धीरे-धीरे यह महसूस करने लगी है कि वास्तव में इस बढ़ती ज़िम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता है और बदलते समाज में न्यायपालिका की भूमिका के प्रति एक नया, नवीन और सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करने का समय आ गया है। निर्णय देने की पद्धति का हमारा महत्वपूर्ण पहलू संवैधानिक उपचारों के निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रचनात्मकता का परीक्षण करता है जो अदालत के समक्ष विवाद के मुद्दों को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं। अंतिम नतीजे में यही पहलू तय करेगा कि अदालत का कोई कड़ा फैसला खोखली बयानबाजी है या नहीं। चल रही न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में तेजी से संवैधानिक उपचारों का निर्माण किया जा रहा है कि क्या राज्य अदालत के फैसले को लागू कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके परिणामस्वरूप राज्य के स्कूलों की पृथक्करण नीतियों में बड़े पैमाने पर यानी न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है।

बाल श्रम कल्याण और न्यायिक सक्रियता:

न्यायपालिका ने न केवल अंतरविवादों को सुलझाने में बल्कि समाज में परस्पर विरोधी खींचतान और दबाव के बीच संतुलन तंत्र के रूप में कार्य करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने भारत में बाल श्रमिकों के जीवन में लगभग एक क्रांति ला दी है। इसने हमेशा कानून का विस्तार और विकास करने का प्रयास किया है ताकि उन लोगों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके जो कानून को जीवन और सामग्री देने के लिए न्यायपालिका की ओर देख रहे हैं। इसने वस्तुतः इस देश में गरीब बाल श्रमिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय न्यायपालिका ने गरीब श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। न्यायालयों ने हमेशा न्याय को बढ़ावा देने और संविधान के आदेशों के अनुसार बच्चों की आशा और आकांक्षा को

पूरा करने के लिए कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन किया है। समाज के वंचित गरीब वर्ग के लिए न्यायालयों की चिंता बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। न्यायालय ने कहा, "भारतीय मानवता का कमजोर वर्ग लंबे समय से न्याय से वंचित है: उनकी गरीबी, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण न्याय तक पहुंच नहीं है। वे संविधान और कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों और लाभों से अवगत नहीं हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण उनके पास न्याय तक पहुंच की क्षमता नहीं है। उनके अधिकार और उनके पास भौतिक संसाधन नहीं हैं जिससे वे अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लागू कर सकें और शोषण और अन्याय का मुकाबला कर सकें। हमारे देश के अधिकांश लोग न्याय तक पहुंच से वंचित हैं और निराशा और असहायता से ग्रस्त हैं। वे शोषणकारी समाज के शिकार बने हुए हैं जहां आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है और इसका उपयोग मनुष्यों के बड़े समूह पर प्रभुत्व कायम रखने के लिए किया जाता है। इसलिए, इस न्यायालय ने हमेशा भारतीय मानवता के उन वंचित या कमजोर वर्गों के बचाव में आना अपना कर्तव्य माना है ताकि उन्हें उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का एहसास कराने और उनके उत्पीड़न और शोषण को समाप्त करने में मदद मिल सके।

निष्कर्ष

बाल श्रम समाज पर कलंक है। बाल श्रम के दलदल से बच्चों के बचपन को निकालना बड़ी चुनौती है। बाल श्रम को मिटाने के लिए सरकार के साथ-साथ वैयक्तिक पहल भी जरूरी है। बाल श्रम के संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है। मेरा मानना है कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून बाल श्रम के कलंक से इस देश को मुक्ति नहीं दिला सकता। जब तक बच्चों का बचपन नहीं संवरेगा तब तक देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना निरर्थक है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोच में बदलाव। जब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस समस्या का स्थाई समाधान निकल पाना संभव नहीं है। बाल श्रम की समाप्ति के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के समन्वित साथ की सख्त जरूरत है। भारतीय

दंड विधान द्वारा जो कार्यवाही है उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमें किसी भी वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। गरीबी को दूर करने वाले सभी व्यवहारिक सभी उपायों को उपयोग में लाया जाना चाहिए। बिना बाल शिक्षा के देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना निरर्थक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

बाकिओग्लू, अकिन। (2020)। यूट्यूब पर डिजिटल पूंजीवाद और बाल श्रम शोषण। समाजशास्त्र लेंस. 10.1111/जोह्स.12456.

कुला, मेहमत और यारबासी, इकराम। (2020)। व्यावसायिक नैतिकता की चुनौतियाँ और तुर्की में बाल श्रम से निपटने की व्यापक समझ। नवाचारों का विपणन और प्रबंधन। 14. 64-74. 10.21272/एमएमआई.2023.1-06.

नाडकर्णी, एम. (2016), "ओवर पॉपुलेशन एंड द रूरल पूअर", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। 11, संख्या 39, पृ. 1163 - 1172.

मेंडेलीविच, एलियास (2020), कार्यस्थल पर बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा

आचार्य, पोरोमेश (2012), "बाल श्रम", सेमिनार संख्या 275, जुलाई, पृष्ठ 18-21।

खाटू, केके एट. अल (2013), वर्किंग चिल्ड्रेन इन इंडिया, बड़ौदा ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप, पी.33- पुस्तक बॉर्न अनफ्री (एन.बी.)।

5तिलक, जेबीजी (2019), शिक्षा में असमानता का अर्थशास्त्र, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली।

कनुगो, ज्योतिर्मयी (2015), युवा लड़कियाँ हमारे घरेलू काम में हमारी मदद कर रही हैं सीएफ, पाटिल, आरएन (संस्करण), भारत में बाल श्रमिकों का पुनर्वास, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

मिश्रा, जीपी और पी. एन पांडे (2017), फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग में बाल श्रम का एक अध्ययन, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ।

सिंह, अमर और रघुविंदर सिंह (2017), "भारत में बाल श्रम के शोषण के कारण",

एससीजे, दिसंबर, वॉल्यूम। तृतीय, भाग 4, पृ. 66.

जैन, महावीर (2014), भारत में बाल श्रम: एक चयनित ग्रंथ सूची, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली।

चन्द्रशेखर, सी. पी. (2017), "बाल श्रम उन्मूलन के आर्थिक परिणाम: एक भारतीय अध्ययन", जर्नल ऑफ पीजेंट स्टडीज, वॉल्यूम। 24, क्रमांक 3, अक्टूबर-दिसंबर

शाह, अहमदनज़ीर (2017), भारत में बाल श्रम, अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली।

एंकर, रिचर्ड (2018), "अवलोकन और परिचय", रिचर्ड एंकर, संध्या बार्गे, एस. राजगोपाल, एमपी जोसेफ (संस्करण), भारत के खतरनाक उद्योग में बाल श्रम का अर्थशास्त्र, सेंटर फॉर ऑपरेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (सीओआरटी) , बड़ौदा।

पांडे, रेखा (2016), "आंध्र प्रदेश के निज़ामाबाद जिले में बीड़ी उद्योग में बाल श्रम (एक रिपोर्ट)", श्रम मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रीवास्तव, रवि एस. (2015), "भारत में बंधुआ बाल श्रम: इसकी घटना और पैटर्न", अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा